राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांकः प.1(6)वित्त/नियम/2025 **जयपुर, दिनांकः** 13 OCT 2025

आदेश

विषयः— राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 35 व 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभत्ता देयता के संबंध में।

राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 35 व 50 में राजकीय कार्मिकों को अपने स्वयं के पद के कार्य के साथ किसी अन्य रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने पर ऐसे रिक्त पद का कार्य किये जाने के लिए पद की रिक्ति दिनांक से 6 माह तक राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर अतिरिक्त कार्यभत्ता (विशेष वेतन) देय किये जाने तथा 6 माह की अवधि के पश्चात् पद को नियमित नियुक्ति/पदोन्नति से नहीं भरे जाने पर पद को आस्थगित (Keep in Abeynce) माने जाने का प्रावधान है।

विभागाध्यक्ष एवं इससे उच्च पदों यथा शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर पदस्थापित अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियम, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम एवं राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम आदि के अन्तर्गत प्रशासनिक एंव वित्तीय शक्तियां प्रदत्त होती है। इसलिए 6 माह की अवधि के पश्चात् ऐसे रिक्त पदों को आस्थगित नहीं माना जा सकता है।

अतः राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि विभागाध्यक्ष एवं इससे उच्च पदों यथा शाासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद 6 माह से अधिक रिक्त रहने पर इन पदों को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 35 व 50 के प्रावधानानुसार आस्थगित नहीं माना जायेगा। ऐसे रिक्त पदों का पूर्ण अतिरिक्त कार्य भार अवधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर पर अतिरिक्त कार्यभत्ता (विशेष वेतन) देय होगा।

यह आदेश ऐसे पदों पर वर्तमान में अपने पद के कार्य के साथ अतिरिक्त कार्य कर रहे अधिकारियों पर भी लागू होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(नवीन जैन)
शासन सचिव
वित्त (बजट) विभाग

E:\Anila\All Work\Modani Sir\letter1.docx 6

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया, वित्त।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया/मंत्री महोदय/राज्य मंत्री महोदय/ संसदीय सचिवगण।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. उप निदेशक, (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
10. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी।
12. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
13. तकनीकी निदेशक, वित्त(कम्प्यूटर सैल)।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

13/x/25

(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (नियम) विभाग

(आरएसआर 25 /2025)